भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2876

(दिनांक 10.07.2019 को उत्तर के लिए)

सेवानिवृत्त नौकरशाहों की नियुक्ति

2876. श्री एस. आर. प्राथिबनः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वरिष्ठ स्तर के सेवानिवृत्त नौकरशाहों की बड़ी संख्या को परामर्शदाता/ सलाहकार आदि के रूप में पुनर्नियोजित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तमिलनाडु सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह

(क): मंत्रालय/विभाग कार्य की आकस्मिकताओं को ध्यान में रखते हुए किसी विशिष्ट कार्य के लिए पेशेवरों अथवा परामर्शदाताओं की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं परन्तु यह किसी नियमित पद के विरूद्ध नहीं होना चाहिए। कुछ विशिष्ट लोक नीति उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विशेषज्ञता एवं उत्कृष्टता प्राप्त कुछ सेवानिवृत्त वरिष्ठ सिविल सेवकों को भी परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्त किया जाता है।

(ख): चूंकि संबंधित मंत्रालयों/विभागों को परामर्शदाता की सेवाएं लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है, अतः इस संबंध में कोई केन्द्रीकृत ऑकड़े नहीं रखे जाते हैं।